न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010045222026

Bail Application/1295/2026

Vikal Vs. State of U.P.

विकल पुत्र सुखवीर सिंह ,निवासी ग्राम मौहम्मदपुर रूस्तमपुर, थाना–बहादुरगढ़ जिला हापुड़ ।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अ0सं0 76/2026
अ0 धारा 74, 351(3),64(1), 115(2), 127(2) बी0एन0एस0
व 3(ख),4(2) पोक्सो एक्ट,
थाना–बहादुरगढ़, जिला–हापुड़।

22.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त विकल पुत्र सुखवीर सिंह की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि उक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी एवं मनघडंत तथ्यों पर आधारित है। उक्त वाद में प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा मुकदमा उपरोक्त में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जॉच किये बिना रंजिसन झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित तथाकथित घटना का कोई सही समय उल्लेखित नहीं किया है, जिससे घटना किस समय घटित हुई यह पता कर पाना मुश्किल है तथा मुकदमा उपरोक्त की घटना इस तथ्य से भी मनघडन्त व झूठी साबित हो रही है। उपरोक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट 04 घण्टे 40 मिनट की देरी से दर्ज करायी गयी है, देरी का कोई कारण भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादनी मुकदमा के साथ कोई छेडछाड व उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है और ना ही कोई जान से मारने की धमकी दी है, जो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दर्शित की गयी है वह तथाकथित झूठी व कपोल कल्पित तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी/अभियुक्त व वादनी मुकदमा पक्ष दोनों एक ही खानदान परिवार के लोग है, जिनके मध्य काफी वर्षों से जमीनी विवाद के सम्बन्ध में पारिवारिक मतभेद चले आ रहे है, जिस कारण वादनी

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.06.24 12:06:32 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

मुकदमा के पिता देवकरण व चाचा शोकेन्द्र प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार से रंजिश मानते है। रंजिश मानने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मुकदमे में वादनी मुकदमा को ढाल बनाकर रंजिशन तथाकथित घटना रचते हुए झूठा फंसाया गया है। वादनी मुकदमा के परिवार व प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार की 01 माह पूर्व किसी बात को लेकर कहां सुनी हो गयी, जिसमें वादनी मुकदमा व उसके परिवार ने एक षडयन्त्र रचकर मुकदमा अपराध सं0–76/2028 अन्तर्गत धारा–74, 351 (3) बी०एन०एस० व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में दिनांक 12.04.2026 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी और दिनांक 13.04.2026 को उक्त मुकदमे के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध थाना पुलिस द्वारा धारा 170,126,135 बी०एन०एस०एस० में चालान कर दिया गया था, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर है, इससे पहले भी वादनी मुकदमा के परिवार वालों ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 2–3 बार धारा–151, 107,116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करा चुके है. जिस कारण प्रार्थी /अभियुक्त की इण्टरमीडिएट से आगे की पढ़ायी तक भी रूक गयी है. जिससे भी वादनी मुकदमा के परिवारजन प्रार्थी/अभियुक्त व प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार वालों से रंजिश मानते है। वादनी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों से अलग साज षडयन्त्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी/अभियुक्त का जीवन बर्बाद करने के उद्देश्य से झूठे धारा–183 बी०एन०एस०एस बयान अंकित कराये है, जिनका वास्तविक्ता से कोई वास्ता व सारोकार नहीं है तथा उक्त धारा–183 बी०एन०एस०एस के झूठे बयानों के आधार पर विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमें में अतिरिक्त धारा–64(1), 115 (2), 127 (2) बी०एन०एस० व 3 (ख) 4 (2) पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गयी है। यदि वादनी मुकदमा के साथ धारा–183 बी०एन०एस०एस० के कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई दृष्कृत्य कारित किया गया होता तो वादनी मुकदमा उसका वर्णन प्रथम सूचना रिपोर्ट में जरूर किया गया होता। वादनी मुकदमा कम पढ़ी लिखी है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को प्रार्थी/अभियुक्त के पिता द्वारा अच्छे स्कूल में शिक्षा–दीक्षा दिलायी जा रही थी, जिस कारण वादनी मुकदमा के परिवार वाले पढायी को लेकर भी प्रार्थी/अभियुक्त से रंजिश मानते है और कहते है कि यह हमसे आगे निकल जायेगा, इसलिए इसे कहीं ना कहीं फंसाकर जेल भिजवाना जरूरी है। वादनी मुकदमा के परिवारजन ने कुछ दिन बाद प्रार्थी/अभियुक्त के साथ योजना बद्ध तरीके से प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार के साथ मारपीट व गाली–गलौच की और प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार के मकान व भूमि पर अवैध कब्जा

करके उन्हें हड़पने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त के परिवारजन को जबरन गांव से जबरदस्ती भगा दिया, तब से प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर ग्राम सालारपुर में अपनी जानकारी में किराये पर रह रहे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वादनी मुकदमा के अलावा अन्य कोई चक्षुदर्शी स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त अपराध के अतिरिक्त कोई अपराधिक इतिहास भी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनाक 24.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने व अवाहन सबूत तोड़ने का कोई अन्देश नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि अभियुक्त का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' प्राथर्नी ''आर'' पुत्री देवकरन उम्र करीब 14 वर्ष ग्राम महोम्मदपुर रूस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड की रहने वाली है। प्रार्थिनी आज दिनांक 12–04–2026 को दोपहर के समय अपने प्लोट में गोबर डालने के लिए गयी थी यही प्लोट के विकल के घेर में नल पर हाथ धोने गयी थी तभी वहा विकल पुत्र सुखवीर जिस का घर मेंरे घर के सामने है विकल ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे खीचने की कोसीस की और बोला अगर सोर मचाया तो तुझे जान से मार दूंगा जिस के बाद मेरे घर वाले आ गये जिन्हें देखकर विकल वहा से भाग गया जिसके बाद मै अपने परिवार वालो के साथ थाने आयी हूँ मेरे प्रार्थना पत्र पर कानूनी कार्वाही करने की कृपा करे ।''

सुनने एवं पत्रावली /केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पर वादिनी उम्र करीब 14 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से उसका सदोष परिरोध करने, उसके उपर आपराधिक बल का प्रयोग करने, उसके साथ बलात्संग /प्रवेशन लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है । केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीडिता द्वारा अपने बयान अ0धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि –'' मैने सन् 2025 में 8 कक्षा

पास की है। दिनांक 12.04.2026 को दोपहर 12.00 बजे मै अपने प्लाट मे गोबर डालने गयी थी । मेरे प्लाट के सामने विकल का प्लाट था। विकल के प्लाट में नल लगा हुया था । जब मै नल पर गोबर के हाथ धोने लगी तब वहां पर विकल ने मुझे चांटा मारा । उसके बाद विकल मेरा मुह बींच कर कमरे में ले गया । विकल ने मेरी सलबार का नाडा तोड़ कर मेरे पेशाब करने के नली में उंगली डाल दी । मेरे साथ गन्दी गन्दी गलत हरकत करने लगा मेरा मुंह कसके से बांध कर मेरे हाथ और पैर भी कपड़े से बांध कर उसने किवाड़ लगा लिया था । विकल में मोटी रस्सी से मेरा गला खीचने की कोशिश करके बीच दिया मुझे जान से मारने की धमकी दी कि अगर किवाड पर लात मार तो तुझे जान से मार दूंगा । फिर बाहर से कमरे पर ताला लगा कर बाहर प्लाट का दरवाजा लगा कर चला गया । मुझे ढूढते हुये मेरे मम्मी और पापा आये मेरे पापा ने ताला खोल दिया मेरे मम्मी और पापा ने मेरे मुह हाथ और पैर का कपडा खोल कर मुझसे सारी घटना के बारे मे पूछा मैने सारी बात बताई और उसके बाद मम्मी और पापा के साथ थाने पर आकर मुकदमा लिखाया विकल मुझ पर काफी पहले से गन्दी नजर रखता था।'' इस प्रकार पीडिता ने स्पष्ट रूप से अपने बयान अ0धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गये आपराधिक कृत्य बलात्संग/ प्रवेशन लैंगिक हमला करने का कथन किया है । मामला पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध से सम्बन्धित है । अभियुक्त का कृत्य अत्यन्त गंभीर व जघन्य प्रकृति का है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विकल पुत्र सुखवीर सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 76/2026,अ0 धारा 74, 351(3),64(1), 115(2), 127(2) बी0एन0एस0 व 3(ख),4(2) पोक्सो एक्ट,थाना–बहादुरगढ़, जिला–हापुड़ के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।